कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– उनि/सशि/डिजीटल लिट्रेसी/2015–16/211 दिनांक 23-6-16

समस्त उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/ द्वितीय)

समस्त संस्था प्रधान
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान

विषय :– डिजीटल लिट्रेसी कार्यक्रम के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– समसख्यंक पत्रांक 145 दिनांक 14.11.2015

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम के तहत सत्र 2015–16 में अधीनस्थ समस्त श्रेणी के शिक्षकों को आर.के.सी.एल. से 90 दिवसीय 132 घंटे का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त क्रम मे यह स्पष्ट किया जाता है कि डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम के तहत सभी आयुवर्ग के समस्त वर्ग के शिक्षकों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों को आरकेसीएल से RS-CIT कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण की शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार के नियमानुसार ही देय होगा। यदि किसी कार्मिक ने अन्य सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष अथवा उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसे आरकेसीएल से कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नही है।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01. निजी सचिव, श्रीमान् आयुक्त , राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,जयपुर।
02. प्रबंधन निदेशक, आर.के.सी.एल, जयपुर।
03. समस्त मण्डल उप निदेशक माध्यमिक को अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
04. सहायक निदेशक , शिक्षक प्रशिक्षण अनुभाग कार्यालय हाजा।
05. सहायक निदेशक , माध्यमिक अनुभाग कार्यालय हाजा।
06. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर